

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1734]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937

No. 1734]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SHRAVANA 23, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

का.आ. 2235(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ सोलहवां संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन), नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, “भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ख लोक उद्यम विभाग”, उप-शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- 1) पूर्ववर्ती लोक उद्यम ब्यूरो जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है, से संबंधित अवशिष्टकार्य।
- 2) सभी पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रभावित करने वाले साधारण नीतिगत विषयों का समन्वय।
- 3) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और अनुश्रवण जिसमें समझौता ज्ञापन तंत्र भी सम्मिलित है।
- 4) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के लिए स्थायी माध्यस्थत तंत्र से संबंधित मामले।
- 5) स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अधीन केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास।

- 6) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की पुनर्विलोकन।
- 7) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने और पब्लिक सेक्टर उद्यमों में अन्य क्षमता निर्माण शुरुआतों के उद्देश्य से उपाय।
- 8) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनरसंरचना या बंद करने से संबंधित सलाह देना जिसमें संबंधित तंत्र भी सम्मिलित है।
- 9) लोक उद्यम स्थायी सम्मेलनसे संबंधित मामले।
- 10) अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम केन्द्र से संबंधित मामला।
- 11) केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों का वर्गीकरण, जिसमें “रत्न” दर्जा प्रदान करना सम्मिलित है।
- 12) पब्लिक उद्यमों का सर्वेक्षण।

प्रणव मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/19/2015-मंत्रि.]

दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2015

S.O. 2235(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Sixteenth Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)”, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

- “1. Residual work relating to erstwhile Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.
2. Coordination of matters of general policy affecting all Public Sector Enterprises.
3. Evaluation and monitoring the performance of Public Sector Enterprises, including the Memorandum of Understanding mechanism.
4. Matters relating to Permanent Machinery of Arbitration for the Public Sector Enterprises.
5. Counselling, training and rehabilitation of employees in Central Public Sector Undertakings under Voluntary Retirement Scheme.
6. Review of capital projects and expenditure in Central Public Sector Enterprises.

7. Measures aimed at improving performance of Central Public Sector Enterprises and other capacity building initiatives of Public Sector Enterprises.
8. Rendering advice relating to revival, restructuring or closure of Public Sector Enterprises including the mechanisms therefor.
9. Matters relating to Standing Conference of Public Enterprises.
10. Matter relating to International Center for Public Enterprises.
11. Categorisation of Central Public Sector Enterprises including conferring 'Ratna' status.
12. Survey of Public Enterprises.”.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/19/2015-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.